

प्रेषक,

संजय कुमार,  
अपर सचिव,  
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र - 2  
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,  
नई दिल्ली ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक 28 मई, 2003

विषय:-

मोनाड पब्लिक स्कूल, गदरपुर (उद्वमसिंहनगर) को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण- पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मोनाड पब्लिक स्कूल, गदरपुर (उद्वमसिंहनगर) को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शासन देहरादून द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।
- 5- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुरूप सेवानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन / संशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि :-

(अ) संस्था द्वारा शिक्षक एवं कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते राज्य सरकार के समतुल्य दिये जाने , संस्था में पुस्तकालय / प्रधानाचार्य कक्ष तथा प्रयोगशाला निर्धारित माप के बना लिये जाने तथा शिक्षक कक्ष एवं भण्डार कक्ष बना लिये जाने एवं विज्ञान सामग्री न्यूनतम रु0 5,000/- की व्यवस्थित कर लिये जाने की कमी को छः माह के भीतर पूर्ण कर इसकी सूचना शासन को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(ब) संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन न किये जाने अथवा शिथिलता बरतने की दशा में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति वापस ले ली जायेगी।

भवदीय,

( संजय कुमार )  
अपर सचिव।

संख्या:- 309 (1)/माध्यमिक/2003-तददिनॉक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-निदेशक, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा,उत्तरांचल,देहरादून।
- 2-मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,कुमायूँ मण्डल,नैनीताल।
- 3-जिला विद्यालय निरीक्षक, उद्वमसिंहनगर।
- 4-प्रबन्धक, मोनाड पब्लिक स्कूल, गदरपुर(उद्वमसिंहनगर)।
- 5-अनुभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

( संजय कुमार )  
अपर सचिव।